

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956] नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 2018/ज्येष्ठ 7, 1940 No. 1956] NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 2018/JYAISTHA 7, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2018

का.आ. 2169 (अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच में चार उपकरणों यथा रिएक्टर बॉटम, रिएक्टर टॉप, रिजेनेरेटर टॉप एवं एमएफसी वॉटम सेक्शन के एलएण्डटी हजीरा विनिर्माण पार्क, गुजरात से वॉगैगॉव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, आसाम तक भाया जोगीझोपा जेट्टी से वॉगैगॉव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, आसाम सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार / कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है—

अनुसूची

- 1. मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई, उपरोक्त यातायात के लिए मैं. एल एण्ड टी हाईड्रोकार्वन इंजिनीयरिंग, लिमिटेड के लिए यातायात कम्पनी है।
- 2. प्राईम मूवर्स (ट्रेक्टर)ः उपरोक्त कंसाईनमेंट के परिवहन में निम्नलिखित दस (10)प्राईम मूवर्स इस्तेमाल किए जाऐंगे :

क्र0सं0	ट्रेक्टरों का पंजीकरण संख्या	मेक	पंजिकृत स्वामी
1.	जीजे12एजेड 3332	वोल्वो	मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया
2.	एमएच06एक्यू1289	वोल्वो	प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
3.	एमएच०६एसी ५४१६	वोल्वो	
4.	एमएच46एच 1064	वोल्वो	

2999 GI/2018 (1)

5.	एमएच०६एसी ८२८०	वोल्वो
6.	एमएच०६एसी ८२८९	वोल्वो
7.	एमएच०६एसी ५७५०	वोल्वो
8.	एमएच०६एसी ५४१७	वोल्वो
9.	एमएच०६एक्यू १२९०	वोल्वो
10.	जीजे 12बीभी 0415	वोल्वो

उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्निलिखत स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:

क्रम सं0	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	द्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन	पंजिकृत स्वामी
		संख्या		प्रमाण-पत्र के अनुसार	
				(टनों में)	
1.	जीजे 12 एटी 7526	4	32	104	मै. बोक्सको
2.	जीजे 12 जेड 0140	4	32	104	लॉजिस्टिक्स इंडिया
3.	जीजे 12 एटी 7530	8	64	208	प्राईवेट लिमिटेड,
4.	जीजे 12 जेड 0138	6	48	156	मुम्बई
5.	जीजे 12 एटी 9598	8	64	208	
6.	जीजे 12 जेड 0139	4	32	104	
7.	जीजे 12 एटी 7528	4	32	104	
8.	जीजे 12 एटी 9596	8	64	208	
9.	जीजे 12 जेड 0137	4	32	104	

4. वाहन और भार विन्यासः लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :--

खाली भार (टन)	कन्साइनमेंट्स	धूरियों का	कन्साइनमेंट का कुल माप	चौड़ाई एवं लम्बाई में धूरियां को जोड़ने का
	का भार(टन)	कुल सकल	(एम.एम. में)(लम्बाई X	विवरण
		भार	चौड़ाई x उचाईं)	
रिएक्टर बॉटम के	210 ਟਜ	275.5 टन	21380 X 8700 X 8940	1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 12 धूरी
<u>लिएः</u>				पंक्तियां (18 धुरी पंक्ति के बराबर एक
12(1+1 / 2) खाली				समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई
धूरी पंक्ति का भारः				में जोड़ा जाएगा (एक धुरी पंक्ति में 12
				टायर) ।
65.5 टन				
रिएक्टर टॉप के <u>लिएः</u>	204 टन	269.5 ਟਜ	14260 X 8700 X 8320	
12(1+1/2) खाली				
धूरी पंक्ति का भारः				
65.5 टन				
रिजेनेरेटर टॉप के	202 ਟਜ	267.5 टन	12690 X 8700 X 8550	
<u>लिएः</u>				
40(414 (0) 3313				
12(1+1/2) खाली				
धूरी पंक्ति का भारः				
65.5 ਟਜ				
एमएफसी बॉटम	240 ਟਜ	345 ਟਜ	29400 X 7500 X 7900	1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 20 धूरी
सेक्शन				पंक्तियां (30 धुरी पंक्ति के बराबर एक
00(414 (0) 777				समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई
20(1+1/2) खाली				में जोड़ा जाएगा (एक धुरी पंक्ति में 12
धूरी पंक्ति का भारः				3
105 ਟਜ				टायर) ।
	L			

5. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अध्यधीन है:-

- (i) उपरोक्त चार उपकरणों के यातायात हेतु वि ोष रास्ता जोगीझोपा जेट्टी चलंतापारा वॉगैगॉव वॉगैगॉव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, आसाम तक है।
- (ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमित ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बित्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक–एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) केवल उपरोक्त चार फेरे के लिए ट्रेलरों को चौड़ाई में जोड़ने की अनुमित है।
- (v) मैं. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम—से—कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।
- (vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमित नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को निदयों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (vii) मैं. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई को बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्रधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (viii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (ix) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी. / घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (x) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए /पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही—सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xi) सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षित के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी।
- (xii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परिमट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiv) कन्साइंमेट के यातायात हेतु समायोजन में दो प्राईम मूवर एवं 12 और 20 पंक्तियाँ, (1+1/2) धूरी प्रत्येक पंक्ति में होगी।
- (xv) ट्रेलरों के यातायात हुतुं चौड़ाई में धूरियों को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाई पास बनाना या अन्य उपाय किए जाएगें।
- (xvi) ट्रेलरों एवं प्राईम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पंजीकृत हैं।
- (xvii) किसी भी अन्य वाहन मालिकों से लिए वाहनों एवं वाहनों के पार्ट्स के संबंध में उत्पन्न मुद्दों का दायित्व मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई का होगा।
- (xviii) कंसाईन्मेंट के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकृति का कोई भी उठे मुद्दे के लिए मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई जिम्मेवार होगा।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2018.

S.O.2169(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of four equipments i.e, Reactor Bottom, Reactor Top, Regenrator Top and MFC Bottom Section during the period from April, 2018 to March, 2019 from L&T Hazira Manufacturing Park, Gujarat to Bongaigaon Refinery, Indian Oil Corporation Ltd., Assam via Jogighopa Jetty to Bongaigaon Refinery, Indian Oil Corporation Ltd., Assam by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

- 1. M/s. Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s L&T Hydrocarbon Engineering, Limited for the aforesaid movements.
- 2. Prime Movers (Tractors): Total 10 (Ten) prime movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:

Sl. No.	Registration No.	Make	Registered Owner
	of Tractor		
1.	GJ12 AZ 3332	Volvo	M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd.,
2.	MH06 AQ 1289	Volvo	Mumbai
3.	MH06 AC 5416	Volvo	
4.	MH 46 H 1064	Volvo	
5.	MH06 AC 8280	Volvo	
6.	MH06 AC 8289	Volvo	
7.	MH06AC 5750	Volvo	
8.	MH06AC 5417	Volvo	
9.	MH 06 AQ 1290	Volvo	
10.	GJ 12BV 0415	Volvo	

3. The following independently registered Hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl.	Registration No.	No. of	No. of	GVW sanctioned/	Registered Owner
No.	of Trailers	Axles in	Tyres in	mentioned in RC of	
		Trailers	Trailers	Trailers (in Ton)	
1.	GJ 12 AT 7526	4	32	104	M/s Boxco Logistics India
2.	GJ 12 Z 0140	4	32	104	Pvt. Ltd., Mumbai
3.	GJ12AT7530	8	64	208	
4.	GJ 12 Z 0138	6	48	156	
5.	GJ 12 AT 9598	8	64	208	
6.	GJ 12 Z 0139	4	32	104	
7.	GJ 12 AT 7528	4	32	104	
8.	GJ 12 AT 9596	8	64	208	
9.	GJ 12 Z 0137	4	32	104	

4. Vehicle and Load Configuration:- GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen weight of	Weight of	GVW of the	Overall dimension of Description of Coupling of
consignment.	Consignment	axles	consignment (in MM) axles in length and width
	in Tons	required	(length x Width x Height)

- \ /-				
For Reactor Bottom 12 Nos. (1+1/2) axle line unladen weight: 65.5 tons.	210 tons	275.5 tons	21380 x 8700 x 8940	12 axle rows having 1+1/2 axles in each row (equivalent to total 18 axle rows in common parlance). Will be coupled in 1+1/2 axle width (12 tyres per axle row).
For Reactor Top, 12 Nos. (1+1/2) axle line unladen weight: 65.5 tons.	204 tons	269.5 tons	14260 x 8700 x 8320	
For Regenrator Top: 12 Nos. (1+1/2) axle line unladen weight: 65.5 tons.	202 tons	267.5 tons	12690 x 8700 x 8550	
For MFC Bottom Section 20 Nos. (1+1/2) axle line unladen weight: 105 tons.	240 tons	345 tons	29400 x 7500 x 7900	20 axle rows having 1+1/2 axles in each row (equivalent to total 30 axle rows in common parlance). Will be coupled in 1+1/2 axle width (12 tyres per axle row).

- 5. The above relaxation is subject to the conditions that :-
- (i) The specific route for transportation of all the four equipment will be from Jogighopa Jetty Chalantapara Bangaigaon Bongaigaon Refinery, IOCL, Assam.
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road will be permissible only for above movement.
- (v) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (vii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would need to obtain permission before moving, from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroute, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 10kms/hour.
- (x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.

- (xi) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized in the above movements.
- (xiv) Each set of vehicles for transportation of consignment, will consist of two Prime Movers and 12 rows of (1+1/2) axles and 20 rows (1+1/2) in each row.
- (xv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xvi) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Gujarat and Maharashtra.
- (xvii) In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai shall be responsibility for the same.
- (xviii) Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai

[F.No. RT-11042/15 /2018-MVL] ABHAY DAMLE, Jt. Secy.